फर्द अहकाम

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी

मुकाम– धोद मु. सीकर

बीरबल बनाम तहसीलदार, धोद आदि

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट

मु.नं. 12/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.02.2021	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती के संबंध में है, अतः तहसीलदार, धोद को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर ईन्तजार रिपोर्ट होकर पत्रावली नियत तिथि 03.03.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
03.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण मात्र रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र में अंकित अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 से कोई रिलीफ नहीं चाहते है। अतः उक्त को हजफ किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थी के नाम दुरूस्ती का है। अतः उक्त अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 का नाम मूल प्रार्थना–पत्र से हजफ किया जाता है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम ग्राम ताजसर खेजडोलियान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 381 रकबा 1.47 हेक्टेयर, खसरा सं. 382 रकबा 1.09 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.56 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलबीर पुत्र सुरजा व बीरबलसिंह पुत्र सुरजा अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम बीरबल पुत्र सुरजा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बीरबल पुत्र सुरजा अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बलबीर पुत्र सुरजा व बीरबलसिंह पुत्र सुरजा के स्थान पर बीरबल पुत्र सुरजा दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बलबीर पुत्र सुरजा व बीरबलसिंह पुत्र सुरजा के स्थान पर बीरबल पुत्र सुरजा दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताजसर खेजडोलियान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 381 रकबा 1.47 हेक्टेयर, खसरा सं. 382 रकबा 1.09 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.56 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलबीर पुत्र सुरजा व बीरबलसिंह पुत्र सुरजा के स्थान पर बीरबल पुत्र सुरजा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया ... उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। ... को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	अप्रार्थी सं. 2 ता 17 कोई रिलीफ नहीं चाहते प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है 4/3/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithilesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:25:00 IST
Reason: SelfAttested